Received- 22-07-2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष न0:– 06532-222650 ई0–मेल:– dist.nazaratgrd@gmail.com

ज्ञापांक /नजा0, दिनांक जुलाई 2020

–:: अति अल्पकालीन निविदा ::–

निदेशानुसार कोरोना वायरस (COVID-19)के बढते प्रकोप को दखते हुवे बगोदर प्रखण्ड एवं गॉवा प्रखण्ड के लिए Hospital Bed , Matters Cover By Rexcine एवं तकिया क्रय के लिए दिनांक 25/07/2020 के 01:00 बजे अपराह्न तक स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद लिफाफे में अति अल्पकानलीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा उसी दिन क्रय समिति के सदस्यों के बीच समाहरणालय सभाकक्ष में 03:00 बजे अपराह्न खोली जायेगी। निविदादाता स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहेंगें।

कमांक	सामग्री का नाम	संख्या
1	Hospital Bed (Size 6.5'X3'X2.5')	100
2	MATTRESS ~~Matters~~ Cover By Rexcine 3"	100
3	बेड सीट (सादा)	100
4	तकिया (सादा)	100

निविदा की शर्ते :–

(अपराह्न)

1. निविदा दिनांक 25/07/2020 के दिन 1:00 बजे अपराह्न तक स्वीकार की जायेगी। तत्पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा मुहर बंद लिफाफे में देनी होगी। प्रत्येक सामग्री के लिए उनके आकार/मात्रा के आधार पर केवल एक दर अंकित रहेगा। दर सभी प्रकार के कर सहित होगा, इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा। लिफाफे के उपर वित्तीय एवं तकनीकी निविदा लिखा होना चाहिए। तकनीकी निविदा एवं वितीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफा के साथ एक बडे मुहर बंद लिफाफा में समर्पित करना होगा। सेलोटेप से बंद मान्य नहीं होगा।
3. निविदा के साथ उपायुक्त, गिरिडीह के पदनाम से 50000.00 (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक का ही मान्य होगा ।
4. निविदादाताओं को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक का Income Tax, Revenue प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
6. निविदादाता अपनी निविदा अपने फर्म/दुकान के लेटर पैड पर दे सकते है।
7. निविदा समाहरणालय के जिला नजारत भाखा में कार्यालय अवधि में जमा लिया जायेगा। निविदा डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं किये जोयेंगें, न ही निविदा खोलते समय निविदा से संबंधी कोई कागजात लिया जायेगा।
8. किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचीबध (ब्लेकलिस्टेड) नहीं होने का शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।
9. GST का निबंधन प्रमाण पत्र एवं दाखिल की अद्यतन विवरणी की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. कार्यालय आदेश निर्गत होने के पश्चात अगले दिन ही निर्धारित स्थान पर सामग्रियों की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगें।
11. अधोहस्ताक्षरी बिना कारण बतायें निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत या अंशिक रूप से स्वीकृत करने, किसी भी प्रकार के संशोधन करने तथा एक से अधिक निविदादाता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

21/07/2020 | 21/7/2020

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, गिरिडीह।	अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी गिरिडीह।

21/07/2020 21/7/20